

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति. मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण सं. प्रार्थना पत्र/FSSA/2019/00001

दर्ज दिनांक: 24/06/2019

1 Khadya Suraksha Adhikari पता -Banswara

बनाम

....प्रार्थी

1 Jamna Prasad पता -Banswara

....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

SELF

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक : 30/07/2019

यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया | जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है: -

(RAJESH VERMA)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं अति. मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

Signature valid

Digitally signed by Rajesh Verma

Date: 2019.07.30 17:26:07 IST

Reason: SelfAttested



न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – राजेश वर्मा, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 17/2019

RCMS Case Reg. 2019/00001

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य बनाम अधिकारी, बांसवाड़ा।

अभियुक्त :-

1. श्री जमना प्रसाद पिता श्री तोलाराम खत्री उम्र 59 वर्ष, मै. कविता ट्रेडर्स, बांसवाड़ा स्थाई पता- 176, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा।
2. श्री वासुदेव पिता श्री तोलाराम खत्री उम्र 59 वर्ष, मै. कविता ट्रेडर्स, बांसवाड़ा स्थाई पता- 176, मोहन कॉलोनी, बांसवाड़ा (राज.)।

उपस्थित :-

1. श्री जमना प्रसाद पिता श्री तोलाराम खत्री (अभियुक्त)।
2. श्री वासुदेव पिता श्री तोलाराम खत्री (अभियुक्त)।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं 27(3)(डी)

निर्णय

दिनांक 30-07-2019

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री अशोक कुमार गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के द्वारा दिनांक 19-06-2019 को यह इस्तगासा इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 23-10-2018 को अप. 03.00 बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स कविता ट्रेडर्स, पुराना बस स्टेण्ड, बांसवाड़ा पर पहुंचा। निरीक्षण करने पर पाया कि उपरोक्त विक्रेता की दुकान पर श्री जमना प्रसाद खत्री उपस्थित थे। वास्ते निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र दिखाने को कहा, जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य पदार्थ विक्रय रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत किया। निरीक्षण करने पर पाया गया कि दुकान पर एक कार्टन में Til Oil (Til Raj) के 500 एमएल के 18 बोतल मूल ही कम्पनी पैक, सील बन्द स्थिति में आम जनता को विक्री हेतु रखा पाया गया। इसमें मिस ब्राण्ड, सब स्टेण्डर्ड, अनसेफ का शक होने पर रूबरू गवाहान के तहत विक्रेता को प्रपत्र-5 ए देकर सूचित किया कि उक्त Til Oil (Til Raj) के नमूना वास्ते एफएसएसए, 2006 के अन्तर्गत ले रहा हूं। Til Oil (Til Raj) के 4 बोतल 500 एमएल की मूल ही कम्पनी पैक, सीलबन्द स्थिति में वास्ते जांच हेतु खरीदी तथा इसकी कीमत 452/- रूपया



(अक्षरे चार सो बावन रूपया) विक्रेता को नगद चुका कर रसीद प्राप्त की, जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाए एवं तरदीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना जांच हेतु क्रय की गई Til Oil (Til Raj) के 4 बोतल 500 एमएल पर फार्म नं. 5 ए पर वर्णित सभी जानकारी अंकित पाई गई। विक्रेता ने मौके पर उक्त Til Oil (Til Raj) के खरीद के सम्बन्ध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं किया। इन खरीदशुदा चारों बोतलों पर लेबल लेबल जिस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के कोड व सिरीयल नं. W-411 नमूना लेने वाले का नाम, नमूना लेने की तिथि आदि अंकित कर चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गौंद से चिपका कर मोटे मजबुत धागे से बांध कर नियमानुसार 4-4 जगह दोनों साइडों पर सील चपड़ी लगा कर नियमानुसार सील चपड़ी कर प्रत्येक सील नमूने पर विक्रेता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं खाद्य निरीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए जाकर चारों सील नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। उक्त चार भागों में से एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा के पत्र क्रमांक FSSA/2018/169 दिनांक 03-12-2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S. 345/Act/2018/395 दिनांक 20-11-2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Til Oil (Til Raj) Contravention of Regulation No. 2.2.2.(10) of Food Safety and Standerds (Packing & Labelling) Regulation 2011. पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZF)(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया।

उक्त प्रकरण में विक्रेता ने Til Oil (Til Raj) मिस ब्राण्डेड का विक्रय करके क्रम संख्या 1 व 2 ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय अपराध है, साथ ही उक्त अभियुक्तगण ने उक्त माल कहां से प्राप्त किया है, की सूचना नहीं देकर उक्त अधिनियम की धारा 27(3)(d) सपटित धारा 26(2)(V) का उल्लंघन किया है। तदनुसार जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

इस्तगासा दिनांक 24-06-2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 30-07-2019 को आरोपी (विपक्षी) श्री जमना प्रसाद एवं श्री वासुदेव उपस्थित हुए एवं उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि कोर्टायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

प्रकरण में आरोपीगण द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।



हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। सुनवाई के दौरान आरोपी ने दण्ड के विषय पर नरमी का रूख अपनाने निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर (खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला उदयपुर) से प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया Til Oil (Til Raj) Contravention of Regulation No. 2.2.2.(10) of Food Safety and Standards (Packing & Labelling) Regulation 2011, पाये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)ZF(C)(i) के तहत मिसब्राण्डेड होना पाया गया। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः विक्रेता द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का उल्लंघन होने पर आरोपीगण को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर रूपये 2000/- (अक्षरे रू. दो हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में जुर्माना राशि रूपया 2000/- (अक्षरे रू. दो हजार मात्र) तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 30-07-2019 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(राजेश वर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी
(अतिरिक्त कलक्टर)
बांसवाड़ा (जा.)

